राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सरवडी
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 382 /2018

प्रार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र रामकिशन
2. भागीरथ पुत्र रामकिशन
3. मनाराम पुत्र कोजाराम जातियान विश्नोई निवासीयान घडसी का बाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह
2. जंगालकंवर बेवा कानसिंह जाति राजपूत निवासी घडसी का बाडा
3. विरमा पुत्र भलाराम
4. कालूराम पुत्र भलाराम
5. ओमाराम पुत्र भलाराम
6. खामदेवी पत्नि मूलाराम
7. मंगलीदेवी पत्नि मूलाराम
8. प्रेमादेवी पत्नि बींजाराम
9. सजकीदेवी पत्नि मानाराम
10. मनाराम पुत्र भलाराम
11. बिजाराम पुत्र भलाराम
12. वीरमाराम पुत्र भल्लाराम जाति जाट निवासीयान भाण्डू खुर्द
13. रूघाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट
14. केसाराभ पुत्र अचलराम
15. बुधाराम पुत्र केसाराम
16. भोमाराम पुत्र दीपाराम
17. जालाराम पुत्र बाबूराम
18. भोमाराम पुत्र दीपाराम
19. चन्द्राराम पुत्र धनाराम
20. सोमाराम पुत्र जोराराम
21. शिवाराम पुत्र धनाराम जातियान जाट निवासीयान नरेवा जिला जोधपुर
22. रूपसिंह पुत्र बुलसिंह राजपूत
23. गंगाराम पुत्र सुखराज
24. तुलछाराम पुत्र मुगलाराम निवासीयान घडसी का बाडा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
25. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा

13

4. (

(ब

कील वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......

आदेश

दिनांक : 5.06.2018

Scanned by CamScanner

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार सरवडी में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा घडसी का बाडा के खेत खसरा 189/73 रकबा 38.02 बीघा, तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 25 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

दो पक्षों के सहमति पर अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता कल्याणपुर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
...सीन अधिकारी लोक अदालत/को... ...- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक... ...क्टर
बालोतरा कैम्प.........